

स्वाशासन समरवण्ड अधिकारी भीमराजा जिला कोटभुतली-बहरोड
पीतासीन अधिकारी - पंकज प्रभूदयाल (मरपपस)

दावा पत्र रकबा
102/2020

सबू दिनांक
31.07.2020

प्रारंभिक निर्णय दिनांक
31.01.2024

समयान

1. इन्द्राज सिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम मोंढण तह. नीमराजा।
वादी।
बनाम

1. इन्द्राज पुत्र रामराम जाति अहीर
2. अमरसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर
3. राजे-दा बेवा हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर
4. हरपाल
5. मंगेश
6. नरेश
7. मुकेश पुत्रान हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर
8. कान्हा पुत्री हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर निवासीयान मोंढण तह. नीमराजा।
9. उपपंजीयक, मोंढण।
10. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराजा।

प्रतिवादगण।

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी व
हुई.दवागी।

उपस्थिति:- 1. श्री सुनील दत्त यादव एड0 वादी की ओर से।
2. श्री एम.डी.शर्मा एड0 प्रतिवादी की ओर से।

-:निर्णय:-

दिनांक :- 31.01.2024

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैं:-

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 1002/0.13, 1088/0.69, 1140/0.12, 1231/1.31, 1232/0.01, 1249/0.15, 1256/1.27, 1276/0.24, 1326/0.11, 1374/0.22, 1832/0.18, 1835/0.09, 1855/0.49, 895/0.21, 896/0.19, 913/0.26, 923/0.55, 955/1.34 वाके ग्राम मोंढण वादी व प्रति0 सं. 01 व 02 व प्रति0 सं. 03 के पति व प्रतिवादी सं. 04 लगा. 08 के पिता हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमे वादी का 1/6 भाग व प्रति0 सं. 01 का 1/2 भाग व प्रति0 सं. 02 का 1/6 भाग व प्रति0 सं. 01 का 1/6 भाग है। जो हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल फौत हो चुका है जिसके जायज वारीयान प्रतिवादीगण 03 लगा. 08 है। वादी व प्रति0 सं. 02 व प्रतिवादीगण 03 के मध्य का काफी अरसा पूर्व आराजी

अधिकारी
कोटभुतली-बहरोड

मुतनाजा का वंटवारा निम्नानुसार हो गया था:-
(1) प्रतिवादी सं. 01 इन्द्राज सिंह के हिरसे मे ख.नं. 896/0.19, 923/0.55, 1002/0.13, 1088/0.69, 1140/0.12, 1131/1.31, 1374/0.22, 1326/5.5, 1832/0.18, 1835/0.09, 1855/0.49 का निष्क भाग कुल रकबा 3.78 हैव0 व ख.नं. 1231 मे पक्षकारान की सामलाती बोरिंग है।

(2) प्रभूदयाल पुत्र मंगतुराम के हक में ख.नं. 913/0.26,955/1.34,1256/0.27,1276/0.24,1326/5.5,1249/0.15,1855/0.49 का निष्क भाग 895/0.21 कुल रकबा 03.77 हैक्ट आया था।

इस प्रकार मुताबिक बंटवारा काबिज रह कर काश्त करते रहे हैं। प्रभूदयाल पुत्र सगरूराम के फौत होने के बाद जायज वारीसान वादी व प्रति. सं. 02 व हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल का काबिज काश्त रहे हैं। वादी व प्रति.सं. 02 व हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल तीनों भाईयों ने आराजी मुतनाजा का निम्न प्रकार बंटवारा कर लिया:-

(1) वादी रघुवीर के हक में ख.नं. 913/0.26,1256/0.75 जिसमें वादी ने अपनी बोरिंग की हुई है। 895/0.21 कुल रकबा 1.22 हैक्ट हिस्से में आया है।

(2) प्रति.सं. 02 अमयरिंह के हक में ख.नं. 955/1.34 आया है।

(3) हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल के हक में ख.नं. 1256/0.52,1276/0.24,1249/0.15,1326/5.5,1855/24.05 कुल रकबा 1.21 आया है। हरदयाल फौत हो चुका है जिसके विधिक वारीसान प्रति.सं. 03 लगा. 08 है।

2. पक्षकारान मुताबिक बंटवारा अपने अपने हिस्से में आई आराजी पर काबिज काश्त है, परन्तु प्रति.सं. 01 लगा. 08 के मन में वेईमानी आ गई है। जो जवरन कब्जा कर बेचान करने पर आमाद है। इसलिए वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

3 अंत में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की है:-

(क) वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 1002/0.13, 1088/0.69, 1140/0.12, 1231/1.31, 1232/0.01, 1249/0.15, 1256/1.27, 1276/0.24, 1326/0.11, 1374/0.22, 1832/0.18, 1835/0.09, 1855/0.49, 895/0.21, 896/0.19, 913/0.26, 923/0.55, 955/1.34 वाके ग्राम मॉढण वादी व प्रति. सं. 01 व 02 व प्रति. सं. 03 के पति व प्रतिवादी सं. 04 लगा. 08 के पिता

हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें वादी का 1/6 भाग व प्रति. सं. 01 का 1/2 भाग व प्रति. सं. 02 का 1/6 भाग व हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल 1/6 भाग है। जो हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल फौत हो चुका है जिसके जायज वारीसान प्रतिवादीगण 03 लगा. 08 है। वादी व प्रति. सं. 02 व

हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल तीनों सगे भाई जो वादी व प्रतिवादी सं. 02 व हरदयाल के पिता प्रभूदयाल व प्रति. सं. 01 इन्द्राज सिंह के मध्य का काफी अरसा पूर्व आराजी मुतनाजा का बंटवारा हो गया था। जो आराजी मुतनाजा मुताबिक बंटवारा निम्न प्रकार से हक व हिस्से में आई थी:-

(1) प्रतिवादी सं. 01 इन्द्राज सिंह के हिस्से में ख.नं. 896/0.19,923/0.55,1002/0.13, 1088/0.69, 1140/0.12, 1131/1.31, 1374/0.22,1326/5.5, 1832/0.18, 1835/0.09, 855/0.49 का निष्क भाग कुल रकबा 3.78 हैक्ट व ख.नं. 1231 में पक्षकारान की सामलाती बोरिंग है।

(2) प्रभूदयाल पुत्र मंगतुराम के हक में ख.नं. 913/0.26,955/1.34,1256/0.27,1276/0.24,1326/5.5,1249/0.15,1855/0.49 का निष्क भाग 895/0.21 कुल रकबा 03.77 हैक्ट आया था।

इस प्रकार मुताबिक बंटवारा काबिज रह कर काश्त करते रहे हैं। प्रभूदयाल पुत्र सगरूराम के फौत होने के बाद जायज वारीसान वादी व प्रति. सं. 02 व हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल का काबिज काश्त रहे हैं। वादी व प्रति.सं. 02 व हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल तीनों भाईयों ने आराजी मुतनाजा का निम्न प्रकार बंटवारा कर लिया:-

(1) वादी रघुवीर के हक में ख.नं. 913/0.26,1256/0.75 जिसमें वादी ने अपनी बोरिंग की हुई है। 895/0.21 कुल रकबा 1.22 हैक्ट हिस्से में आया है।

(II) प्रति.सं. 02 अमयरिंह के हक में ख.नं. 955/1.34 आया है।

(3) हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल के हक में ख.नं. 1256/0.52,1276/0.24,1249/0.15,1326/5.5,1855/24.05 कुल रकबा 1.21 आया है। हरदयाल फौत हो चुका है जिसके विधिक वारीसान प्रति.सं. 03 लगा. 08 है। जो हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल के

मुताबिक आई हक व हिस्से की आराजी पर काबिज है जिस सूरत में आराजी मुतानाजा को मुताबिक बंटवारा तकसीम की जा कर अन्तिम डिक्री इरी प्रकार पारित की जावे। बय सूरत दीगर मुताबिक हक व हिस्सा को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी पक्षकारान के मध्य तकसीम की जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जाकर मुशक से खाताबन्दी करायी जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुयम ईमतनाइ दवागी पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो बय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया बाद तामिलप्रतिवादीगण ने वादी के वाद को अस्वीकार कर जवाब पेश किया कि वादी ने बहामी बंटवारा दिनांक 09.08.1999 के अनुसार दावा पेश नहीं किया है। वादी द्वारा दावे में अंकितानुसार मौके पर बंटवारा नहीं किया हुआ है, ना ही इस प्रकार से काबिज है। मौके पर लिखित बंटवारा दिनांक 09.08.1999 के अनुसार काबिज है। इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अगर वादी बंटवारा करवाना चाहता है, तो बंटवारा दिनांक 09.08.1999 के अनुसार करा सकता है, अगर ऐसा नहीं करवाना चाहता है तो कुरे कायम करवा कर उसके अनुसार बंटवार करवा सकता है।

5. वादी ने अपने वादी की पुष्टि में फोटो प्रति बंटवारा दिनांक 08.09.1999, नकल जमाबन्दी सं. 2075-78, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी सं. 2076, नकल नोटिस पेश किए हैं।

6. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर दिनांक 14.06.2022 को दावा प्रारंभिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार मांडण से मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि के कुरे कायम कर कुरे कायमी रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेश दिए गए। तहसीलदार मांडण ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ/23/715 दिनांक 09.10.2023 के द्वारा कुरे कायमी रिपोर्ट भिजवाई गई जो रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। कुरे कायमी रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 2 अभयसिंह ने आपत्ति प्रस्तुत की आपत्ति पर पक्षकारान को सुना जाकर आपत्ति सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया कुरे कायमी रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

7. अतः आदेश है कि:-

वाद वादी बहक वादी प्रतिविरुद्ध प्रतिवादीगण कुरे कायमी रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख आराजी वाले ग्राम मांडण निम्नानुसार उनके कब्जे काश्त एवं खातेदारी में रहेगी:-

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1. रघुवीर सिंह पुत्र प्रभूदयाल हि0 सम्पूर्ण अहीर सा0 देह खातेदार राहिन एस.डी.आई शाखा मांडण	1002/2	0.0217	0.54
	1088/2	0.1150	0.81
	1140/2	0.02	0.14
	1231/2	0.2183	4.44
	1249/2	0.0250	0.46
	1256/2	0.2116	4.76
	1276/2	0.04	0.20

		1326 / 2	0.0166	0.1200
		1374 / 2	0.0367	0.66
		1832 / 2	0.03	0.21
		1835 / 2	0.015	0.10
		1855 / 2	0.0817	1.12
		895 / 2	0.035	0.71
		896 / 2	0.0317	0.22
		913 / 2	0.0433	0.77
		923 / 2	0.0917	1.46
		955 / 2	0.2233	2.41
		किता-17	1-2566	19.13
2.	इन्द्राज पुत्र सगरुपराम हि० सम्पूर्ण जाति अहीर सा०देह खातेदार	1002 / 1	0.065	1.61
		1088 / 1	0.345	2.42
		1140 / 1	0.06	0.42
		1231 / 1	0.655	13.31
		1249 / 1	0.075	1.36
		1256 / 1	0.635	14.29
		1276 / 1	0.12	0.60
		1326 / 1	0.05	0.39
		1374 / 1	0.11	1.99
		1832 / 1	0.09	0.63
		1835 / 1	0.045	0.32
		1855 / 1	0.245	3.37
		895 / 1	0.105	2.15
		896 / 1	0.0950	0.67
		913 / 1	0.13	2.33
		923 / 1	0.275	4.38
		955 / 1	0.67	7.24
		किता-17	3.7700	57.48
	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	लान
3.	अभयसिंह पुत्र प्रभूदयाल अहीर सा०देह खातेदार राहिन एस.बी. आई शाखा मांढण	1002 / 3	0.0216	0.54
		1088 / 3	0.1150	0.80
		1140 / 3	0.02	0.14
		1231 / 3	0.2184	4.43
		1249 / 3	0.0250	0.45
		1256 / 3	0.2117	4.77
		1276 / 3	0.04	0.20
		1326 / 3	0.0167	0.1300
		1374 / 3	0.0367	0.66
		1832 / 3	0.03	0.21
		1835 / 3	0.015	0.11
		1855 / 3	0.0817	1.13
		895 / 3	0.035	0.71
		896 / 3	0.0316	0.22
		913 / 3	0.0434	0.77
		923 / 3	0.0916	1.45
		955 / 3	0.2233	2.41
		किता-17	1.2567	19.13
4.	योग राजेश पत्नी व हरपाल यादव,	1002 / 4	0.0217	0.53

अधिकारी
कोटपूतली-वहरोड़

विशेष माघन, विशेष माघन पूजा	1088 / 4	0.1150	0.80
व कर्ता वेदी, विशेष पूजा	1140 / 4	0.02	0.14
हरमाल और सोवेस खातेदार	1231 / 4	0.2183	4.43
	1249 / 4	0.0250	0.45
	1256 / 4	0.2117	4.76
	1276 / 4	0.04	0.20
	1326 / 4	0.0167	0.1300
	1374 / 4	0.0366	0.66
	1632 / 4	0.03	0.21
	1635 / 4	0.015	0.10
	1656 / 4	0.0616	1.12
	895 / 4	0.035	0.72
	896 / 4	0.0317	0.22
	913 / 4	0.0433	0.78
	923 / 4	0.0917	1.46
	955 / 4	0.2234	2.42
	किता-17	1.2567	19.13
शागलात समस्त खातेदारान	1232	0.01 मै.मु.चाहे	-
पूर्वोनुसार	1326 / 2	0.01 मै.मु.चाहे	-

उक्तानुसार ही पृथक-पृथक खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड जमावंदी, खराना गिरदावरी, नक्शा ट्रेस में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार ही अमल दरामद हो। खर्चा फरीकें अपना अपना वहन करेंगे पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फंसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.01.2024
 पंकज बड़गजर (आर.ए.एस)
 उपखण्ड अधिकारी
 नौकला (कोटपूली-फरतेह)
 पदेन सहायक कलेक्टर, नौकला

नोट:- निर्णय में जो प्रमुखीत मसदे के एकात पर कालकी। पराजावे,
 नकल न० 1326/2 के एकात पर 1326/3 पराजावे, नकल न० 1326/3
 के एकात पर 1326/4 पराजावे। नकल 1326/4 के एकात
 पर 1326/5 पराजावे।

उपखण्ड अधिकारी
 नौकला (कोटपूली-फरतेह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपुतली-बहरोड़
पीठारी अधिकारी :- पंकज बडगुजर (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या
102/2020

रजू दिनांक
21.07.2020

प्रारंभिक निर्णय दिनांक
31.01.2024

उगवान
1. रघुवीरसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम मॉढण तह. नीमराना।
वादी।

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र सगरराम जाति अहीर
2. अमयसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर
3. राजेन्दा बेवा हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर
4. हरपाल
5. धनेश
6. नरेश
7. मुकेश पुत्रान हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर
8. कान्ता पुत्री हरदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर निवासीयान मॉढण तह. नीमराना।
9. उपपंजीयक, मॉढण।
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना।

प्रतिवादगण।

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी व
हु.ई.दवामी।

उपस्थिति:- 1. श्री सुनील दत्त यादव एड0 वादी की ओर से।

2. श्री एम.डी.शर्मा एड0 प्रतिवा

दिनांक 31.01.2024

पर्चा डिक्री

वाद वादी बहक वादी प्रतिविरुद्ध प्रतिवादीगण कुरे कायमी रिपोर्ट के आधार पर
डिक्रीकिया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख आराजी
वाके ग्राम माढण गिम्नानुसार उनके कब्जे काश्त एवं खातेदारी में रहेगी:-

क्र. सं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1.	रघुवीर सिंह पुत्र प्रभूदयाल हि0	1002/2	0.0217	0.54
	सम्पूर्ण अहीर सा0देह खातेदार	1088/2	0.1150	0.81
	राहिन एस.डी.शाई शाखा माढण	1140/2	0.02	0.14
		1231/2	0.2183	4.44
		1249/2	0.0250	0.46
		1256/2	0.2116	4.76
		1276/2	0.04	0.20
		1326/2	0.0166	0.1200
		1374/2	0.0367	0.66
		1832/2	0.03	0.21
		1835/2	0.015	0.10
		1855/2	0.0817	1.12
		895/2	0.035	0.71
		896/2	0.0317	0.22
		913/2	0.0433	0.77
		923/2	0.0917	1.46
		955/2	0.2233	2.41

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

2	इन्द्राज पुत्र सगरूपराम हि० सम्पूर्ण जाति अहीर सा०देह खातेदार	किता-17	1-2566	19.13
		1002/1	0.085	1.61
		1088/1	0.345	2.42
		1140/1	0.06	0.42
		1231/1	0.655	13.31
		1249/1	0.075	1.36
		1256/1	0.635	14.29
		1276/1	0.12	0.60
		1326/1	0.05	0.39
		1374/1	0.11	1.99
		1832/1	0.09	0.63
		1835/1	0.045	0.32
		1855/1	0.245	3.37
		895/1	0.105	2.15
		896/1	0.0950	0.67
913/1	0.13	2.33		
923/1	0.275	4.38		
955/1	0.67	7.24		
	किता-17	3.7700	57.48	
3.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	ल्गान
	अमयसिंह पुत्र प्रभूदयाल अहीर सा०देह खातेदार राहिन एस.बी. आई शाखा मांडण	1002/3	0.0216	0.54
		1088/3	0.1150	0.80
		1140/3	0.02	0.14
		1231/3	0.2184	4.43
		1249/3	0.0250	0.45
		1256/3	0.2117	4.77
		1276/3	0.04	0.20
		1326/3	0.0167	0.1300
		1374/3	0.0367	0.66
		1832/3	0.03	0.21
		1835/3	0.015	0.11
		1855/3	0.0817	1.13
		895/3	0.035	0.71
		896/3	0.0316	0.22
		913/3	0.0434	0.77
923/3	0.0916	1.45		
955/3	0.2233	2.41		
	किता-17	1.2567	19.13	
4.	योग	किता-17	1.2567	19.13
	राजेश पत्नी व हरपाल यादव, नरेश यादव, दिनेश यादव पुत्रान व कांता देवी, मुकेश पुत्रीयान हरदयाल अहीर सा०देह खातेदार	1002/4	0.0217	0.53
		1088/4	0.1150	0.80
		1140/4	0.02	0.14
		1231/4	0.2183	4.43
		1249/4	0.0250	0.45
		1256/4	0.2117	4.76
		1276/4	0.04	0.20
		1326/4	0.0167	0.1300
		1374/4	0.0366	0.66
		1832/4	0.03	0.21
		1835/4	0.015	0.10

सुबड अधिकारी
परना (कोटपूतली-बलरोड)

		1855 / 4	0.0816	1.12
		895 / 4	0.035	0.72
		896 / 4	0.0317	0.22
		913 / 4	0.0433	0.78
		923 / 4	0.0917	1.46
		955 / 4	0.2234	2.42
		किता-17	1.2567	19.13
शामलात	शमस्त	खातेदारान	1232	0.02 गै.मु.चाहे
पूर्वानुसार			1326 / 2	0.01 गै.मु.चाहे

उक्तानुसार ही पृथक-पृथक खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, खसना गिरदावरी, नक्शा ट्रेस में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार ही अमल दरामद में खर्च फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

31.01.2021
 पंकज खडगुजर (आर.ए.एस)
 उपखण्ड अधिकारी (कैम्प) नीमराणा
 पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराणा

नोट:- डिंडी में गैर मुसलीम चाहे के खाता पर बाकी।
 खण्ड 1326/2 के खाता पर 1326/3 पर बाकी
 खण्ड 1326/3 के खाता पर 1326/4 पर बाकी
 खण्ड 1326/4 के खाता पर 1326/5 पर बाकी

उपखण्ड अधिकारी
 नीमराणा (कैम्प-कलेक्टर)